किम्बर्ली प्रोसेस

आयात/निर्यात प्राधिकारी भारत

रिफ्रेन्स: GJC/KP-CIR/85/2015-16/00018

1 जून 2015

परिपत्र

विषय: सेवा कर में बदलाव 1 जून 2015 से 14% लागू

माननीय महोदय,

यह पत्र 19 मई 2015 के सेवा कर अधिसूचना क्र. 14/2015-एसटी जिसमे 1 जून 2015 से 14% सेवा कर लागू होने की बात कही गयी है, के सन्दर्भ में है।

किम्बर्ली प्रोसेस के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों के लिए शुल्क पर 14% सेवा कर लागू होगा।

1 जून 2015 से केपी शुल्क नीचे दी हुई तालिका के हिसाब से देय होगाः

| जून 2015 से लागू केपी | केपी संसाधन शुल्क | सेवा कर@14% | कुल देय शुल्क |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| संसाधन शुल्क पर | | | |
| संशोधित सेवा कर | ₹. | ₹. | रु. |
| | | | |
| सदस्य | 500 | 70 | 570 |
| क्रियर शुल्क (@ 310/-) | 810 | 113 | 923 |
| के साथ सदस्य | | | |
| गैर सदस्य | 1500 | 210 | 1710 |
| क्रियर शुल्क (@ 310/-) | 1810 | 253 | 2063 |
| के साथ गैर सदस्य | | | |

नोटिफिकेशन क्र. 14/2015 की प्रतिलिपि "किम्बर्ली इन्फो" वर्ग के अंतर्गत <u>www</u> www.gjepc.org पर उपलब्ध है।

अगर कोई प्रश्न हो तो बिना संकोच परिषद के किम्बर्ली विभाग मुंबई या सूरत से संपर्क करें या kpkp@gjepcindia.com या suratepcindia surat@gjepcindia.com omपर ईमेल करें। धन्यवाद,

के लिए और तरफ से

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

सब्यसची रे

कार्यकारी निर्देशक

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org